

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

मांग संख्या 47

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:

मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2011-2012			बजट 2012-2013			संशोधित 2012-2013			बजट 2013-2014			
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
राजस्व	19596.40	3686.18	23282.58	24828.69	3575.00	28403.69	20507.68	3927.00	24434.68	26302.33	4113.00	30415.33	
पूँजी	1072.96	-0.46	1072.50	2298.31	...	2298.31	1492.32	...	1492.32	2862.67	...	2862.67	
जोड़	20669.36	3685.72	24355.08	27127.00	3575.00	30702.00	22000.00	3927.00	25927.00	29165.00	4113.00	33278.00	
1. सचिवालय-सामाजिक सेवाएं	2251	3.01	47.32	50.33	4.00	52.00	56.00	4.21	56.18	60.39	8.00	61.48	69.48
2. विवेकाधीन अनुदान	2013	...	1.37	1.37	...	1.50	1.50	...	1.50	1.50	...	1.50	1.50
स्वास्थ्य													
3.													
3.01 स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय	2210	1.82	34.01	35.83	2.30	41.00	43.30	2.70	38.80	41.50	3.00	41.60	44.60
3.02	2210	0.48	0.48	...	1.50	1.50
जोड़-		1.82	34.01	35.83	2.30	41.00	43.30	2.70	39.28	41.98	3.00	43.10	46.10
4. राष्ट्रीय चिकित्सा पुस्तकालय	2210	24.69	2.81	27.50	25.00	4.00	29.00	25.00	4.00	29.00	21.50	4.25	25.75
	4210	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	6.25	...	6.25
जोड़		24.69	2.81	27.50	26.00	4.00	30.00	26.00	4.00	30.00	27.75	4.25	32.00
5. केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना													
5.01 सीजीएचएस औषधालयों की स्थापना	2210	56.70	659.51	716.21	57.81	605.00	662.81	65.26	693.00	758.26	62.47	694.00	756.47
	4210	15.24	...	15.24	25.00	...	25.00	20.00	...	20.00	27.45	...	27.45
जोड़		71.94	659.51	731.45	82.81	605.00	687.81	85.26	693.00	778.26	89.92	694.00	783.92
5.02 घटाएं वसूलियां	2210	...	-7.54	-7.54	...	-5.00	-5.00	...	-5.00	-5.00	...	-5.00	-5.00
कुल		71.94	651.97	723.91	82.81	600.00	682.81	85.26	688.00	773.26	89.92	689.00	778.92
अस्पताल और औषधालय													
6. सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली	2210	148.47	206.08	354.55	153.55	210.00	363.55	189.75	210.00	399.75	180.00	235.64	415.64
	4210	26.19	...	26.19	100.00	...	100.00	50.00	...	50.00	140.00	...	140.00
	4216	0.66	...	0.66	4.00	...	4.00	2.00	...	2.00	10.00	...	10.00
जोड़		175.32	206.08	381.40	257.55	210.00	467.55	241.75	210.00	451.75	330.00	235.64	565.64
7. डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली	2210	103.69	131.94	235.63	115.65	138.00	253.65	129.57	142.00	271.57	87.55	162.50	250.05
	4210	24.68	...	24.68	68.70	...	68.70	63.60	...	63.60	150.00	...	150.00

मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2011-2012			बजट 2012-2013			संशोधित 2012-2013			बजट 2013-2014			
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
	4216	0.14	...	0.14	0.30	...	0.30	0.05	...	0.05	3.00	...	3.00
	जोड़	128.51	131.94	260.45	184.65	138.00	322.65	193.22	142.00	335.22	240.55	162.50	403.05
8. केंद्रीय मनोरोग विज्ञान संस्थान, रांची	2210	9.98	29.87	39.85	11.90	30.00	41.90	11.90	29.00	40.90	16.00	31.00	47.00
	4210	12.20	...	12.20	32.34	...	32.34	31.00	...	31.00	32.00	...	32.00
	4216	0.40	...	0.40	1.50	...	1.50	0.90	...	0.90	2.00	...	2.00
	जोड़	22.58	29.87	52.45	45.74	30.00	75.74	43.80	29.00	72.80	50.00	31.00	81.00
9. अखिल भारतीय काय औषध और पुनर्वास संस्थान, मुंबई	2210	4.07	9.46	13.53	5.75	10.00	15.75	5.75	9.85	15.60	7.80	10.50	18.30
	4210	0.50	...	0.50	4.60	...	4.60	4.60	...	4.60	8.20	...	8.20
	जोड़	4.57	9.46	14.03	10.35	10.00	20.35	10.35	9.85	20.20	16.00	10.50	26.50
10. कलावती सरन बाल अस्पताल, नई दिल्ली	2210	20.28	27.73	48.01	25.40	30.00	55.40	25.40	30.00	55.40	31.00	33.50	64.50
	4210	5.64	...	5.64	5.35	...	5.35	5.25	...	5.25	6.00	...	6.00
	4216	0.23	...	0.23	1.00	...	1.00	0.30	...	0.30	1.50	...	1.50
	जोड़	26.15	27.73	53.88	31.75	30.00	61.75	30.95	30.00	60.95	38.50	33.50	72.00
11. सीजीएचएस पेंशनभोगियों का चिकित्सा उपचार	2071	...	837.93	837.93	...	630.00	630.00	...	725.00	725.00	...	725.00	725.00
जोड़-अस्पताल और औषधालय		357.13	1243.01	1600.14	530.04	1048.00	1578.04	520.07	1145.85	1665.92	675.05	1198.14	1873.19
चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान													
12. वल्लभ भाई पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट, दिल्ली विश्वविद्यालय	2210	13.40	21.40	34.80	15.40	22.50	37.90	15.40	24.10	39.50	16.90	25.60	42.50
13. कैसर अनुसंधान	2210	98.78	14.70	113.48	72.00	15.00	87.00	50.00	14.70	64.70	100.00	17.00	117.00
14. लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली	2210	36.49	126.47	162.96	67.00	131.00	198.00	48.65	128.32	176.97	150.00	134.50	284.50
	4210	14.18	...	14.18	20.00	...	20.00	14.50	...	14.50	35.00	...	35.00
	4216	0.12	...	0.12	5.00	...	5.00	10.00	...	10.00
	जोड़	50.79	126.47	177.26	92.00	131.00	223.00	63.15	128.32	191.47	195.00	134.50	329.50
15. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), नई दिल्ली	2210	412.35	650.00	1062.35	474.00	650.00	1124.00	496.00	788.70	1284.70	550.00	790.00	1340.00
16. राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका संस्थान, बंगलुरु	2210	95.00	78.23	173.23	109.00	80.00	189.00	109.00	86.41	195.41	132.80	100.00	232.80
17. अखिल भारतीय वाक एवं श्रवण संस्थान, मैसूर	2210	18.50	10.52	29.02	34.50	12.00	46.50	31.23	11.80	43.03	81.14	13.50	94.64
18. स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़	2210	92.00	364.00	456.00	161.00	385.00	546.00	150.00	390.00	540.00	200.00	435.00	635.00
19. जवाहर लाल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, पुडुचेरी	2210	92.59	145.00	237.59	120.75	155.00	275.75	124.75	168.00	292.75	160.00	185.00	345.00
20. कस्तूरबा स्वास्थ्य सोसायटी, वर्धा	2210	40.00	...	40.00	50.00	...	50.00	50.00	...	50.00	50.00	...	50.00

मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2011-2012			बजट 2012-2013			संशोधित 2012-2013			बजट 2013-2014			
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
21. वर्धमान महावीर मेडिकल कालेज, नई दिल्ली	2210	3.34	...	3.34	3.50	...	3.50	8.50	...	8.50	9.50	...	9.50
	4210
	जोड़	3.34	...	3.34	3.50	...	3.50	8.50	...	8.50	9.50	...	9.50
22. डा. राम मनोहर लोहिया स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली	2210	8.56	...	8.56	16.10	...	16.10	18.10	...	18.10	18.00	...	18.00
	4210	9.95	...	9.95	9.95	...	9.95	11.50	...	11.50
	4216	0.05	...	0.05	0.50	...	0.50
	जोड़	8.56	...	8.56	26.10	...	26.10	28.05	...	28.05	30.00	...	30.00
23. एम्स की तरह के सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल - सह शिक्षण संस्थानों की स्थापना एवं राज्य सरकार के अस्पतालों का उन्नयन	2210	42.29	...	42.29	128.00	...	128.00	128.00	...	128.00	250.00	...	250.00
	4210	812.94	...	812.94	1376.21	...	1376.21	850.00	...	850.00	1475.00	...	1475.00
	4216	21.87	...	21.87	40.00	...	40.00	32.00	...	32.00	250.00	...	250.00
	जोड़	877.10	...	877.10	1544.21	...	1544.21	1010.00	...	1010.00	1975.00	...	1975.00
24. अन्य शैक्षणिक संस्थाएं													
24.01 अन्य शैक्षणिक संस्थाएं	2210	265.30	8.12	273.42	4.40	9.72	14.12	4.30	9.90	14.20	43.45	10.60	54.05
	4210	15.30	...	15.30	0.31	...	0.31	0.20	...	0.20
	जोड़	265.30	8.12	273.42	19.70	9.72	29.42	4.61	9.90	14.51	43.65	10.60	54.25
24.02	2210	3.70	3.70	...	3.70	3.70
24.03	2210	-3.70	-3.70	...	-3.70	-3.70
	कुल	265.30	8.12	273.42	19.70	9.72	29.42	4.61	9.90	14.51	43.65	10.60	54.25
25.	2210	983.29	...	983.29
	3601	0.01	...	0.01
	4210	40.00	...	40.00
	जोड़	1023.30	...	1023.30
जोड़-चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान जन स्वास्थ्य		2067.71	1418.44	3486.15	2722.16	1460.22	4182.38	2140.69	1621.93	3762.62	4567.29	1711.20	6278.49
26. पत्तन/वायु विमान पत्तन स्वास्थ्य संगठन/प्रतिष्ठान (जहाजों के डि-रेटाइजेशन सहित)	2210	0.85	15.76	16.61	1.80	21.00	22.80	1.80	21.00	22.80	15.00	24.00	39.00
	4210	6.00	...	6.00
	जोड़	0.85	15.76	16.61	1.80	21.00	22.80	1.80	21.00	22.80	21.00	24.00	45.00
27. क्षय रोग/कुष्ठ प्रशिक्षण संस्थान	2210	4.06	18.57	22.63	5.50	22.50	28.00	5.17	22.54	27.71	6.60	25.05	31.65
	4210	1.08	...	1.08	2.77	...	2.77	2.77	...	2.77	2.55	...	2.55
	4216	0.63	...	0.63	0.63	...	0.63	0.45	...	0.45

मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2011-2012			बजट 2012-2013			संशोधित 2012-2013			बजट 2013-2014			
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
	जोड़	5.14	18.57	23.71	8.90	22.50	31.40	8.57	22.54	31.11	9.60	25.05	34.65
28. नर्सिंग सेवाओं का विकास	2210	25.97	...	25.97	22.50	...	22.50	10.00	...	10.00	20.00	...	20.00
29. राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान, नई दिल्ली	2210	9.04	19.18	28.22	17.45	24.50	41.95	16.12	23.30	39.42	17.95	27.00	44.95
	3601	0.05	...	0.05	0.05	...	0.05	0.05	...	0.05
	जोड़	9.04	19.18	28.22	17.50	24.50	42.00	16.17	23.30	39.47	18.00	27.00	45.00
30. राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम	2210	113.50	...	113.50	117.00	...	117.00	87.00	...	87.00	133.28	...	133.28
31. खाद्य अपमिश्रण निवारण, (स्टेपल भोजन के विटामिन एवं मिनरल पुष्टिकरण की व्यवहार्यता जांच स्कीम की परियोजना सहित)	2210	38.63	0.09	38.72	50.00	0.31	50.31	50.00	0.26	50.26	133.87	0.35	134.22
32. केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन	2210	24.88	14.31	39.19	52.60	21.50	74.10	42.38	20.25	62.63	179.86	22.50	202.36
	4210	20.00	...	20.00	20.00	...	20.00	60.00	...	60.00
	जोड़	24.88	14.31	39.19	72.60	21.50	94.10	62.38	20.25	82.63	239.86	22.50	262.36
33. सीरा एवं वैक्सीन का विनिर्माण	2210	25.78	4.26	30.04	44.73	13.00	57.73	40.67	8.58	49.25	46.93	10.00	56.93
	4210	46.35	...	46.35	173.27	...	173.27	155.00	...	155.00	140.93	...	140.93
	जोड़	72.13	4.26	76.39	218.00	13.00	231.00	195.67	8.58	204.25	187.86	10.00	197.86
34. जन स्वास्थ्य प्रयोगशालाएं	2210	17.65	27.00	44.65	35.92	39.50	75.42	27.34	37.44	64.78	36.00	40.50	76.50
	4210	19.28	...	19.28	17.57	...	17.57	6.00	...	6.00	9.85	...	9.85
	जोड़	36.93	27.00	63.93	53.49	39.50	92.99	33.34	37.44	70.78	45.85	40.50	86.35
35. जन स्वास्थ्य शिक्षा	2210	5.17	28.38	33.55	10.00	34.95	44.95	8.32	32.49	40.81	3.80	34.20	38.00
	4210	0.07	...	0.07	6.00	...	6.00	2.40	...	2.40	13.80	...	13.80
	जोड़	5.24	28.38	33.62	16.00	34.95	50.95	10.72	32.49	43.21	17.60	34.20	51.80
36. आपातकालीन चिकित्सा राहत सहित स्वास्थ्य क्षेत्र आपदा तैयारी एवं प्रबंधन	2210	0.02	...	0.02	3.85	...	3.85	3.85	...	3.85	3.00	...	3.00
	4210	45.50	...	45.50	3.15	...	3.15	65.50	...	65.50
	जोड़	0.02	...	0.02	49.35	...	49.35	7.00	...	7.00	68.50	...	68.50
37. लाला रामस्वरूप क्षय रोग एवं संबद्ध रोग संस्थान, नई दिल्ली	2210	29.32	12.50	41.82	34.28	13.20	47.48	32.20	12.93	45.13	35.00	14.00	49.00
38. हजयात्रियों के टीकाकरण के लिए मेनिनजाइटिस वैक्सीन की खरीद	2210	...	4.36	4.36	...	6.00	6.00	...	6.00	6.00	...	6.00	6.00
39. अभिधात केंद्रों के लिए क्षमता निर्माण हेतु सहायता	2210	79.66	...	79.66	102.00	...	102.00	50.00	...	50.00	79.09	...	79.09
40. राष्ट्रीय आरोग्य निधि	2210	...	12.00	12.00	...	12.00	12.00	...	12.00	12.00	...	14.00	14.00
	3601	...	8.50	8.50	...	8.00	8.00	...	8.98	8.98	...	11.00	11.00
	3602	1.00	1.00	0.50	0.50
	जोड़	...	20.50	20.50	...	21.00	21.00	...	20.98	20.98	...	25.50	25.50
41.	2210	324.32	...	324.32

	मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2011-2012			बजट 2012-2013			संशोधित 2012-2013			बजट 2013-2014			
		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
42.	2210	88.86	...	88.86	
43.	2210	60.00	...	60.00	
44.	अन्य स्वास्थ्य योजनाएं													
44.01	निगरानी समिति	2210	344.00	...	344.00	131.00	...	131.00	254.89	...	254.89	130.00	...	130.00
		4210	41.30	...	41.30	234.00	...	234.00	195.00	...	195.00	195.00	...	195.00
		4216	3.70	...	3.70	25.00	...	25.00	15.00	...	15.00	25.00	...	25.00
		जोड़	389.00	...	389.00	390.00	...	390.00	464.89	...	464.89	350.00	...	350.00
44.02	तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम	2210	29.34	...	29.34
44.03	लोक स्वास्थ्य संस्थान	2210	0.25	...	0.25	0.25	...	0.25	0.30	...	0.30
44.04	टेलीमेडिसिन	2210	0.99	...	0.99	20.00	...	20.00	1.00	...	1.00	5.00	...	5.00
44.05	राष्ट्रीय मधुमेह, कार्डियोवेस्कूलर रोग एवं आघात निवारण और नियंत्रण कार्यक्रम	2210	101.28	...	101.28	270.00	...	270.00	160.00	...	160.00
44.06	राष्ट्रीय बधिरता कार्यक्रम	2210	14.17	...	14.17	20.00	...	20.00	10.00	...	10.00	5.00	...	5.00
44.07	नई पहलें	2210	192.99	...	192.99	199.99	...	199.99	118.13	...	118.13	50.98	...	50.98
		4210	25.00	...	25.00	56.25	...	56.25	6.00	...	6.00	97.25	...	97.25
		जोड़	217.99	...	217.99	256.24	...	256.24	124.13	...	124.13	148.23	...	148.23
44.08	अन्य स्कीमें	2210	6.73	4.97	11.70	3.36	5.67	9.03	1.50	5.32	6.82	2.71	5.42	8.13
44.09	जिला अस्पताल	2210	260.00	...	260.00	313.80	...	313.80	239.00	...	239.00
44.10	मानव स्वास्थ्य संसाधन	2210	172.89	...	172.89	454.50	...	454.50	135.90	...	135.90
		4210
		4216
		जोड़	172.89	...	172.89	454.50	...	454.50	135.90	...	135.90
44.11	स्वास्थ्य बीमा	2210
44.12	नई योजनाएं-सीएस	2210	58.10	...	58.10	72.21	...	72.21
		4210	30.00	...	30.00
		जोड़	58.10	...	58.10	102.21	...	102.21
44.13	नई योजनाएं-सीएसएस	2210	62.00	...	62.00
	जोड़- अन्य स्वास्थ्य योजनाएं		1192.39	4.97	1197.36	1848.25	5.67	1853.92	1136.67	5.32	1141.99	613.45	5.42	618.87
45.	मेडिकल स्टोर संगठन													
45.01	भंडारण	2210	...	36.59	36.59	0.01	42.00	42.01	...	42.96	42.96	...	45.00	45.00
		4210	0.01	...	0.01
		जोड़	...	36.59	36.59	0.02	42.00	42.02	...	42.96	42.96	...	45.00	45.00
45.02	भारत एवं विदेश में सामान की खरीद	2210	...	82.37	82.37	...	102.00	102.00	...	102.00	102.00	...	115.00	115.00

मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2011-2012			बजट 2012-2013			संशोधित 2012-2013			बजट 2013-2014			
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
45.03 घटाएं वसूलियां	2210	...	-104.56	-104.56	...	-102.00	-102.00	...	-102.00	-102.00	...	-115.00	-115.00
	कुल	...	14.40	14.40	0.02	42.00	42.02	...	42.96	42.96	...	45.00	45.00
जोड़-जन स्वास्थ्य		1633.70	184.28	1817.98	2611.69	265.13	2876.82	1701.52	254.05	1955.57	2096.14	279.52	2375.66
जोड़-स्वास्थ्य		4156.99	3534.52	7691.51	5975.00	3418.35	9393.35	4476.24	3753.11	8229.35	7459.15	3925.21	11384.36
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन													
46.													
46.01													
46.01.01	2210	39.03	...	39.03
46.01.01.01	2211	9977.12	858.80	10835.92
46.01.01.02	2211	199.00	...	199.00
46.01.01.03	2211	-858.80	-858.80
46.02													
46.02.01	3601	742.28	...	742.28
46.02.02	3601	364.77	...	364.77
जोड़-		1107.05	...	1107.05
46.03													
46.03.01	3602	29.90	...	29.90
46.03.02	3602	1.50	...	1.50
जोड़-		31.40	...	31.40
जोड़-		11353.60	...	11353.60
47.	2211	0.89	...	0.89
48.													
48.01													
48.01.01	2210	193.16	834.09	1027.25
48.01.02	2210	585.00	...	585.00
48.01.03	2210	-825.68	-825.68
कुल		778.16	8.41	786.57
48.02													
48.02.01	3601	72.15	...	72.15
48.02.02	3601	325.00	...	325.00
48.02.03	3601
कुल		397.15	...	397.15
48.03													
48.03.01	3602	2.25	...	2.25

	मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2011-2012			बजट 2012-2013			संशोधित 2012-2013			बजट 2013-2014		
		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
48.03.02	3602	3.00	...	3.00
48.03.03	3602
	कुल	5.25	...	5.25
जोड़-		1180.56	8.41	1188.97
49.	2210	764.17	17.88	782.05
50.	2211	31.00	...	31.00
	3601	4509.06	...	4509.06
	3602	16.73	...	16.73
	जोड़	4556.79	...	4556.79
51.	
51.01	2211	124.65	112.40	237.05
51.02	2211	-112.40	-112.40
51.03	3601	101.40	...	101.40
	3602	5.00	...	5.00
	जोड़	106.40	...	106.40
जोड़-		231.05	...	231.05
52. राष्ट्रीय रोग नियंत्रण कार्यक्रम	
52.01 राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम	
52.01.01 राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम	2210	200.04	341.01	541.05	234.92	404.89	639.81	209.92	248.72	458.64
52.01.01.01 राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम	2210	...	-319.90	-319.90	...	-397.23	-397.23	...	-240.68	-240.68
52.01.01.02 घटाएं वसूलियां	2210	...	-319.90	-319.90	...	-397.23	-397.23	...	-240.68	-240.68
	कुल	200.04	21.11	221.15	234.92	7.66	242.58	209.92	8.04	217.96
52.01.02 राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम	3601	319.88	...	319.88	212.00	...	212.00	155.00	...	155.00
	3602	0.08	...	0.08	0.08	...	0.08
	जोड़	319.88	...	319.88	212.08	...	212.08	155.08	...	155.08
जोड़- राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम		519.92	21.11	541.03	447.00	7.66	454.66	365.00	8.04	373.04
52.02 राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम	
52.02.01 एनटीबीसीपी	
52.02.01.01 एनटीबीसीपी	2210	366.03	3.50	369.53	598.00	140.00	738.00	470.00	140.00	610.00
52.02.01.02 घटाएं वसूलियां	2210	...	-44.96	-44.96	...	-140.00	-140.00	...	-140.00	-140.00
	कुल	366.03	-41.46	324.57	598.00	...	598.00	470.00	...	470.00
52.02.02 एनटीबीसीपी	3601	22.99	...	22.99	75.15	...	75.15	50.15	...	50.15
	3602	2.00	...	2.00	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00

मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2011-2012			बजट 2012-2013			संशोधित 2012-2013			बजट 2013-2014		
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
	जोड़	24.99	...	24.99	80.15	...	80.15	55.15	...	55.15
	जोड़- राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम	391.02	-41.46	349.56	678.15	...	678.15	525.15	...	525.15
52.03	राष्ट्रीय कुष्ठ रोग नियंत्रण कार्यक्रम	2210	34.75	...	34.75	40.20	...	40.20	29.52	...	29.52	...
		3601	5.81	...	5.81	6.00	...	6.00	6.00	...	6.00	...
	जोड़	40.56	...	40.56	46.20	...	46.20	35.52	...	35.52
52.04	राष्ट्रीय ट्रेकोमा एवं अंधता निवारण कार्यक्रम	2210	221.51	...	221.51	261.00	...	261.00	220.00	...	220.00	...
52.05	राष्ट्रीय आयोडीन अल्प विकार नियंत्रण कार्यक्रम	2210	16.97	...	16.97	41.10	...	41.10	20.00	...	20.00	...
		3601	4.92	...	4.92	5.00	...	5.00	2.50	...	2.50	...
		3602	0.17	...	0.17	0.40	...	0.40	0.30	...	0.30	...
	जोड़	22.06	...	22.06	46.50	...	46.50	22.80	...	22.80
52.06	राष्ट्रीय समेकित रोग निगरानी कार्यक्रम	2210	27.76	...	27.76	56.70	...	56.70	35.00	...	35.00	...
52.07	राष्ट्रीय स्वापक नशामुक्ति नियंत्रण कार्यक्रम	2210	16.75	...	16.75	20.70	...	20.70	26.71	...	26.71	...
	जोड़- राष्ट्रीय रोग नियंत्रण कार्यक्रम	1239.58	-20.35	1219.23	1556.25	7.66	1563.91	1230.18	8.04	1238.22
53.	निदेशन और प्रशासन	2211	6.14	10.93	17.07	18.86	11.85	30.71	19.55	17.45	37.00	...
		3601	417.85	...	417.85	419.50	...	419.50	403.30	...	403.30	...
		3602	2.85	...	2.85	5.50	...	5.50	2.52	...	2.52	...
	जोड़	426.84	10.93	437.77	443.86	11.85	455.71	425.37	17.45	442.82
54.	ग्रामीण परिवार कल्याण सेवाएं (उप केंद्र)	2211	8.05	...	8.05	9.57	...	9.57	10.75	...	10.75	...
		3601	3986.01	...	3986.01	3720.94	...	3720.94	4081.28	...	4081.28	...
		3602	3.44	...	3.44	4.50	...	4.50	3.90	...	3.90	...
	जोड़	3997.50	...	3997.50	3735.01	...	3735.01	4095.93	...	4095.93
55.	शहरी परिवार कल्याण सेवाएं	2211	0.83	...	0.83	1.12	...	1.12	1.08	...	1.08	...
		3601	197.12	...	197.12	234.00	...	234.00	224.22	...	224.22	...
		3602	7.98	...	7.98	6.13	...	6.13	1.60	...	1.60	...
	जोड़	205.93	...	205.93	241.25	...	241.25	226.90	...	226.90
56.	गर्भ निरोधन											
56.01	गर्भ निरोधकों (कंडोमों को छोड़कर) का निःशुल्क वितरण											
56.01.01	एफडीसी											
56.01.01.01	एफडीसी	2211	2.50	118.88	121.38	2.25	112.40	114.65	2.25	112.40	114.65	...
56.01.01.02	घटाएं वसूलियां	2211	...	-88.45	-88.45	...	-112.40	-112.40	...	-112.40	-112.40	...
	कुल	2.50	30.43	32.93	2.25	...	2.25	2.25	...	2.25

	मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2011-2012			बजट 2012-2013			संशोधित 2012-2013			बजट 2013-2014			
		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
56.01.02	एफडीसी	3601	89.82	...	89.82	101.40	...	101.40	105.40	...	105.40
		3602	2.11	...	2.11	5.00	...	5.00	1.00	...	1.00
		जोड़	91.93	...	91.93	106.40	...	106.40	106.40	...	106.40
	जोड़- गर्भ निरोधकों (कंडोमों को छोड़कर) का निःशुल्क वितरण		94.43	30.43	124.86	108.65	...	108.65	108.65	...	108.65
56.02	गर्भ निरोधकों का सामाजिक विपणन (कंडोमों के सामाजिक विपणन के अतिरिक्त)	2211	200.86	...	200.86	112.50	...	112.50	110.00	...	110.00
	जोड़- गर्भ निरोधन		295.29	30.43	325.72	221.15	...	221.15	218.65	...	218.65
57.	प्रजनन और बाल स्वास्थ्य परियोजना (आरसीएचपी)													
57.01	आरसीएचपी													
57.01.01	आरसीएचपी	2211	15.66	21.53	37.19	23.75	287.50	311.25	15.59	99.00	114.59
57.01.02	घटाएं वसूलियां (आरसीएचपी)	2211	...	-3.45	-3.45	...	-287.50	-287.50	...	-99.00	-99.00
	कुल		15.66	18.08	33.74	23.75	...	23.75	15.59	...	15.59
57.02	आरसीएचपी	3601	3.44	...	3.44	252.00	...	252.00	87.70	...	87.70
		3602	5.00	...	5.00	1.74	...	1.74
		जोड़	3.44	...	3.44	257.00	...	257.00	89.44	...	89.44
	जोड़- प्रजनन और बाल स्वास्थ्य परियोजना (आरसीएचपी)		19.10	18.08	37.18	280.75	...	280.75	105.03	...	105.03
58.	नेमी रोग प्रतिरक्षण													
58.01	नैमित्तिक प्रतिरक्षण													
58.01.01	नैमित्तिक प्रतिरक्षण	2211	1.99	400.82	402.81	6.15	464.49	470.64	5.07	553.78	558.85
58.01.02	घटाएं वसूलियां	2211	...	-303.51	-303.51	...	-464.49	-464.49	...	-553.78	-553.78
	कुल		1.99	97.31	99.30	6.15	...	6.15	5.07	...	5.07
58.02	नैमित्तिक प्रतिरक्षण	3601	338.51	...	338.51	755.85	...	755.85	558.69	...	558.69
		3602	2.66	...	2.66	15.00	...	15.00	6.00	...	6.00
		4211
		जोड़	341.17	...	341.17	770.85	...	770.85	564.69	...	564.69
	जोड़- नेमी रोग प्रतिरक्षण		343.16	97.31	440.47	777.00	...	777.00	569.76	...	569.76
59.	पल्स पोलियो प्रतिरक्षण													
59.01	पल्स पोलियो प्रतिरक्षण													
59.01.01	पल्स पोलियो प्रतिरक्षण	2211	296.74	429.55	726.29	395.06	394.31	789.37	395.06	649.71	1044.77
59.01.02	घटाएं वसूलियां	2211	...	-475.62	-475.62	...	-394.31	-394.31	...	-649.71	-649.71
	कुल		296.74	-46.07	250.67	395.06	...	395.06	395.06	...	395.06
59.02	पल्स पोलियो प्रतिरक्षण	3601	456.80	...	456.80	365.40	...	365.40	433.00	...	433.00

मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2011-2012			बजट 2012-2013			संशोधित 2012-2013			बजट 2013-2014			
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
3602	14.53	...	14.53	16.00	...	16.00	16.00	...	16.00	
जोड़	471.33	...	471.33	381.40	...	381.40	449.00	...	449.00	
जोड़- पल्स पोलियो प्रतिरक्षण	768.07	-46.07	722.00	776.46	...	776.46	844.06	...	844.06	
60. सूचना, शिक्षा एवं संप्रेषण (आईईसी)	2211	172.28	5.43	177.71	207.00	6.45	213.45	256.69	7.48	264.17	
61. राज्यों और केंद्रों के अंतर्गत प्रशिक्षण संस्थान	2211	15.26	47.86	63.12	50.26	51.34	101.60	26.17	55.87	82.04	
	3601	138.30	...	138.30	143.98	...	143.98	135.71	...	135.71	
	3602	0.39	...	0.39	0.60	...	0.60	0.15	...	0.15	
	4211	1.19	...	1.19	7.01	...	7.01	0.91	...	0.91	
जोड़	155.14	47.86	203.00	201.85	51.34	253.19	162.94	55.87	218.81	
62. अनुसंधान संस्थान	2211	15.45	...	15.45	21.70	...	21.70	15.05	...	15.05	
63. राज्य परियोजना कार्यान्वयन योजनाओं का फ्लेक्सिबल पूल													
63.01 मिशन फ्लेक्सिबल पूल	2211	4496.40	...	4496.40	5152.00	...	5152.00	3610.00	...	3610.00	
63.02 प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य फ्लेक्सिबल पूल	2211	4205.39	...	4205.39	4345.51	...	4345.51	3350.00	...	3350.00	
जोड़- राज्य परियोजना कार्यान्वयन योजनाओं का फ्लेक्सिबल पूल		8701.79	...	8701.79	9497.51	...	9497.51	6960.00	...	6960.00	
अन्य सेवाएं													
64. क्षेत्र परियोजनाएं													
64.01 इंडिया पापुलेशन प्रोजेक्ट्स	2211	0.02	...	0.02	0.10	...	0.10	
64.02 यूएसएआईडी से सहायता प्राप्त एसआईएफपीएसए परियोजना	2211	12.00	...	12.00	10.00	...	10.00	22.92	...	22.92	
जोड़- क्षेत्र परियोजनाएं		12.00	...	12.00	10.02	...	10.02	23.02	...	23.02	
65. परिवार कल्याण की अन्य योजनाएं													
65.01 परिवार कल्याण संबद्ध स्वास्थ्य बीमा योजना	2211	32.94	...	32.94	45.00	...	45.00	45.00	...	45.00	
65.02 गैर सरकारी संगठन (सरकारी निजी भागीदारी)	2211	1.39	...	1.39	1.80	...	1.80	1.80	...	1.80	
65.03 प्रबंधन सूचना प्रणाली	2211	100.36	...	100.36	145.00	...	145.00	100.00	...	100.00	
65.04 राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग	2211	1.06	...	1.06	4.60	...	4.60	1.63	...	1.63	
65.05 सामाजिक विपणन क्षेत्र परियोजना	2211	0.35	...	0.35	
65.06 अन्य योजनाएं													
65.06.01 अन्य योजनाएं	2210	22.80	22.80	
65.06.02 अन्य योजनाएं													
65.06.02.01 अन्य योजनाएं	2211	18.51	5.50	24.01	259.74	8.70	268.44	27.82	8.93	36.75	600.94	366.21	967.15
65.06.02.02	2211	-287.50	-287.50
कुल		18.51	5.50	24.01	259.74	8.70	268.44	27.82	8.93	36.75	600.94	78.71	679.65

मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2011-2012			बजट 2012-2013			संशोधित 2012-2013			बजट 2013-2014			
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
65.06.03 अन्य योजनाएं	3601	56.81	...	56.81	
65.06.04 अन्य योजनाएं	4211	7.74	...	7.74	
जोड़- अन्य योजनाएं		18.51	5.50	24.01	259.74	8.70	268.44	27.82	8.93	36.75	688.29	78.71	767.00
65.07 अंतर्राष्ट्रीय योगदान	2211	2.97	...	2.97	3.00	...	3.00	3.72	...	3.72
जोड़- परिवार कल्याण की अन्य योजनाएं		157.23	5.50	162.73	459.49	8.70	468.19	179.97	8.93	188.90	688.29	78.71	767.00
जोड़-अन्य सेवाएं		169.23	5.50	174.73	469.51	8.70	478.21	202.99	8.93	211.92	688.29	78.71	767.00
जोड़-राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन		16509.36	149.12	16658.48	18429.30	86.00	18515.30	15313.55	97.77	15411.32	18775.35	105.00	18880.35
66. अंतर्राष्ट्रीय सहयोग	2210	...	16.17	16.17	6.00	17.15	23.15	6.00	18.44	24.44	6.00	19.81	25.81
67.													
67.01													
67.01.01	2552	202.90	...	202.90	155.10	...	155.10
67.01.02	2552	1909.80	...	1909.80	1531.35	...	1531.35
जोड़-		2112.70	...	2112.70	1686.45	...	1686.45
67.02	2552	600.00	...	600.00	513.55	...	513.55	692.85	...	692.85
67.03													
67.03.01	2552	2059.65	...	2059.65
67.03.02	2552	164.00	...	164.00
जोड़-		2223.65	...	2223.65
जोड़-		2712.70	...	2712.70	2200.00	...	2200.00	2916.50	...	2916.50
68. सहायता सामग्री और उपस्कर													
68.01 सहायता सामग्री और उपस्कर-सकल	3606	...	88.89	88.89	...	375.36	375.36	...	223.69	223.69	...	388.86	388.86
68.02 घटाइए - कार्यात्मक मुख्य शीर्षों को अंतरण	3606	...	-88.89	-88.89	...	-375.36	-375.36	...	-223.69	-223.69	...	-388.86	-388.86
68.03 निवल - सहायता सामग्री और उपस्कर	3606
जोड़- सहायता सामग्री और उपस्कर	
69. वास्तविक वसूलियां	2210	...	-38.20	-38.20
	2211	...	-24.12	-24.12
	3601
	4210	...	-0.46	-0.46
जोड़		...	-62.78	-62.78
कुल जोड़		20669.36	3685.72	24355.08	27127.00	3575.00	30702.00	22000.00	3927.00	25927.00	29165.00	4113.00	33278.00

	विकास शीर्ष	बजट सहायता	आं. व. वा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. व. वा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. व. वा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. व. वा. सं.	जोड़
ग. योजना परिव्यय													
1. सचिवालय - सामाजिक सेवाएं	22251	3.01	...	3.01	4.00	...	4.00	4.21	...	4.21	8.00	...	8.00
2. चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	22210	5396.57	...	5396.57	7537.25	...	7537.25	5712.42	...	5712.42	9471.71	...	9471.71
3. परिवार कल्याण	22211	15269.78	...	15269.78	16873.05	...	16873.05	14083.37	...	14083.37	16768.79	...	16768.79
4. पूर्वोत्तर क्षेत्र	22552	2712.70	...	2712.70	2200.00	...	2200.00	2916.50	...	2916.50
जोड़		20669.36	...	20669.36	27127.00	...	27127.00	22000.00	...	22000.00	29165.00	...	29165.00

1. **सचिवालय-सामाजिक सेवाएं:** इसमें स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के सचिवालय के लिए प्रावधान है।

3. **स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय:** इसमें चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मामलों में तकनीकी विशेषज्ञता का प्रावधान है और यह विभिन्न स्वास्थ्य और परिवार कल्याण कार्यक्रमों के कार्यान्वयन और मानीटरिंग के लिए उत्तरदायी है और देश और विदेश में जैव चिकित्सीय सूचना के संग्रहण, संसाधन और आपूर्ति के लिए फोकल बिन्दु है।

4. **राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान पुस्तकालय:** यह भारत में जैव चिकित्सा और स्वास्थ्य विज्ञान सूचना के केन्द्र के रूप में कार्य करता है और अपनी सूचना उत्पादों और सेवाओं के माध्यम से पूरे देश में सभी औषधि व्यवसायियों और प्रैक्टिसनरों तक पहुंच बनाता है।

5. **केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना:** इसमें केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों के अलावा विशेष वर्ग के लोगों जैसे संसद सदस्यों, पूर्व संसद सदस्यों, पूर्व राज्यपालों, पूर्व राष्ट्रपतियों, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायधीशों, स्वतंत्रता सेनानियों और उनके परिवार के सदस्यों आदि के लिए व्यापक चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने का प्रावधान है। इस योजना के तहत इन सुविधाओं में एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होमियोपैथिक, यूनानी/सिद्धा औषधालयों/एककों के नेटवर्क के माध्यम से बहिरंग रोगी परिचर्या प्रदान करना शामिल है।

6. **सफदरजंग अस्पताल:** यह केन्द्रीय सरकार का एक अस्पताल है जो दिल्ली तथा पड़ोसी राज्यों के लाखों नागरिकों को चिकित्सा परिचर्या प्रदान करता है। यह अपने परिसर में आयुर्वेदिक ओपीडी, होमियोपैथिक ओपीडी की सुविधाएं भी प्रदान करता है।

7. **डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली:** यह भी केन्द्रीय सरकार का एक अस्पताल है जिसमें केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों, संसद सदस्यों इत्यादि के लिए एक नर्सिंग होम भी है। अस्पताल का उद्देश्य सभी मुख्य संकायों में विभिन्न विशिष्टताओं/अति विशिष्टताओं में व्यापक रोगी परिचर्या प्रदान करना है। अस्पताल में लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज के स्नातक विद्यार्थियों के लिए एक प्रशिक्षण केन्द्र भी है। इस अस्पताल द्वारा एक नर्सिंग स्कूल भी चलाया जा रहा है।

8. **केन्द्रीय मनोचिकित्सा संस्थान, रांची:** यह देश में केन्द्र सरकार का एक प्रमुख मानसिक स्वास्थ्य संस्थान है। यह संस्थान दो पड़ोसी देशों अर्थात् नेपाल और भूटान की आवश्यकताओं को भी पूरा करता है। नैदानिक और उपचार सुविधाओं के अतिरिक्त यह मनोचिकित्सा में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम भी आयोजित करता है।

9. **अखिल भारतीय भौतिक चिकित्सा और पुनर्वास संस्थान, मुम्बई:** यह सम्पूर्ण दक्षिण एशिया में एक प्रमुख संस्थान है जिसमें चिकित्सा पुनर्वास सेवाओं की सुविधाएं हैं। संस्थान स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर प्रशिक्षण भी आयोजित करता है और पुनर्वास औषधियों में अनुसंधान करता है।

10. **कलावती सरन बाल चिकित्सा अस्पताल, नई दिल्ली:** यह बच्चों के रोगों के इलाज के लिए एक विशिष्ट अस्पताल है और यह लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज द्वारा संचालित है। इसमें बच्चों के लिए बाल चिकित्सा, सर्जरी, ओर्थोपेडिक्स और गहन परिचर्या सुविधाएं उपलब्ध हैं।

12. **बल्लभ भाई पटेल वक्ष संस्थान, दिल्ली:** यह राष्ट्रीय संस्थान वक्ष रोगों में उन्नत और मूलभूत अनुसंधान, स्नातकोत्तर शिक्षण, रेफरल क्लीनिकल और प्रयोगशाला निदान सेवाओं के लिए समर्पित है। यह भारत के विभिन्न भागों से संकाय सदस्यों और चिकित्सा व्यवसायियों के लिए श्वसन तंत्र रोगों में अल्पावधि प्रशिक्षण पाठ्यक्रम/कार्यशालाएं भी आयोजित करता है।

13. **कैंसर नियंत्रण:** इसमें सीएनसीआई, कोलकाता को एक कैंसर के उपचार केन्द्र के रूप में स्थापित करने और कैंसर पर धीरे-धीरे इसके बुनियादी और नैदानिक अनुसंधान करने और साथ ही तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के लिए प्रावधान भी शामिल हैं।

14. **लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली:** यह अस्पताल केन्द्र सरकार द्वारा चलाया जाता है तथा इसमें महिलाओं के लिए स्नातक पूर्व और स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा, पुरुष विद्यार्थियों के लिए स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और महिलाओं और बच्चों के लिए चिकित्सा परिचर्या प्रदान की जाती है। महाविद्यालय के अंतर्गत सहयोगी अस्पताल जैसे श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल और कलावती सरन बाल चिकित्सा अस्पताल है जो विद्यार्थियों को व्यापक व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान करता है। यह नर्सिंग स्कूल भी चलाता है जिसमें नर्सिंग और नर्सधात्री पाठ्यक्रमों को भी चलाया जाता है।

15. **अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली:** इसकी स्थापना 1956 में संसद के एक अधिनियम द्वारा एक प्रमुख संस्थान के रूप में चिकित्सा सेवाओं के विभिन्न विधाओं से संबंधित प्रयोगों और अनुसंधान करने के लिए की गई है। डॉ. राजेन्द्र प्रसाद नेत्र चिकित्सा विज्ञान केन्द्र इसके साथ सम्बद्ध है। इस संस्थान को केन्द्रीय सरकार से शत प्रतिशत वित्तीय सहायता प्राप्त है।

16. **राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान, बंगलुरु:** यह एक स्वायत्त संस्थान है और इसे भारत सरकार से अनुरक्षण सहायता अनुदान प्राप्त होता है और यह मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान के क्षेत्र में सेवाएं, प्रशिक्षण और अनुसंधान कार्यक्रम प्रदान करता है। यह संस्थान एक मानद विश्वविद्यालय है और चिकित्सा एवं परा चिकित्सा विषयों में डिग्री एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रम प्रदान करता है।

17. **अखिल भारतीय वाक एवं श्रवण संस्थान, मैसूर:** यह संस्थान वाक एवं श्रवण समस्याओं से ग्रसित रोगियों को निदान, उपचार और परामर्शी सेवाओं के रूप में नैदानिक सेवाएं प्रदान करता है। यह संस्थान वाक एवं श्रवण व्यवसायियों के लिए अल्पावधि प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित करता है।

18. **स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, चण्डीगढ़:** यह संस्थान संसद के एक अधिनियम के तहत एम्स, नई दिल्ली जैसे कार्य संचालन वाले एक राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में स्थापित किया गया था परन्तु यह स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में भी कार्य करता है। यह संस्थान पूर्ण रूप से केन्द्रीय सरकार द्वारा वित्त पोषित है और चिकित्सा शिक्षा अनुसंधान और विशेषीकृत अस्पताल सेवाओं का एक केन्द्र है।

19. **जवाहर लाल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थान, पुडुचेरी:** यह एक स्वायत्त संस्थान है जिसे भारत सरकार से सहायता अनुदान प्राप्त होता है और यह संस्थान चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रदान करता है। इसका अस्पताल पुडुचेरी और पडोसी राज्यों के लोगों को चिकित्सा सेवाएं मुहैया कराता है। शिक्षण पाठ्यक्रम में अद्यतन विकास प्रदर्शित करते हुए इसके द्वारा चिकित्सा शिक्षक प्रशिक्षण केन्द्र का भी संचालन किया जाता है।

20. **कस्तूरबा स्वास्थ्य सोसायटी:** देश में यह ग्रामीण परिवेश में स्थित महात्मा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, सेवाग्राम, वर्धा के प्रबंधन का कार्य देखता है और यह विभिन्न स्नातकोत्तर विषयों में डिग्री एवं डिप्लोमा प्रदान करता है। इसके पास उत्कृष्ट नैदानिक और उपचारात्मक सुविधाएं और स्नातक और स्नातकोत्तर प्रशिक्षण प्रदान किए जाने के लिए पर्याप्त आधार है।

21. **वर्धमान महावीर चिकित्सा महाविद्यालय, नई दिल्ली:** यह सफदरजंग अस्पताल से संबद्ध चिकित्सा कालेज है।

22. **डा. राम मनोहर लोहिया स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली:** यह संस्थान डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली के परिसर में स्थापित किया गया है ताकि विभिन्न विशेषज्ञता प्राप्त विषयों जैसे मेडिसिन, अस्थिविज्ञान, शल्यचिकित्सा, संवेदनाहरण, विकिरण विज्ञान, त्वचा, नेत्र तथा बाल-विज्ञान में दिल्ली विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड के विद्यार्थियों को एमडी/एमएस/डीएनबी छात्रों को स्नातकोत्तर प्रशिक्षण प्रदान किया जा सके।

23. **एम्स जैसे बहु-विशेषज्ञता प्राप्त अस्पताल सह-शिक्षण संस्थानों की स्थापना और राज्य सरकार के अस्पतालों का उन्नयन:** प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत विभिन्न राज्यों में छह एम्स जैसे अस्पताल सह-शिक्षा केन्द्रों को स्थापित किया जा रहा है और साथ ही उन्नीस राज्य सरकारी अस्पतालों का उन्नयन किया जा रहा है।

24. **अन्य शैक्षणिक संस्थान:** इनमें राजकुमारी अमृत कौर नर्सिंग महाविद्यालय, भारतीय चिकित्सा परिषद, भारतीय दंत चिकित्सा परिषद, भारतीय फार्मसी परिषद, राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान अकादमी, राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड आदि शामिल हैं।

25. **स्वास्थ्य हेतु मानव संसाधन:** इस योजना के तहत राज्यों/ संघ शासित क्षेत्रों को उपचर्या सेवाओं, भेषज विद्यालय/ कॉलेजों, पैरामेडिकल संस्थानों, राज्य सरकार मेडिकल कॉलेजों, जिला अस्पतालों, आदि के उन्नयन/ सुदृढीकरण हेतु सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

26. **बंदरगाह /वायुपत्तन स्वास्थ्य संगठन/स्थापना:** यह देश में बड़े बंदरगाह और अंतरराष्ट्रीय वायु-पत्तनों में स्वास्थ्य निकासी और संगरोध प्रबंध हेतु संचालन और प्रबंध कार्य करता है। इस संगठन का उद्देश्य अधिसूचित स्थानिकमारी देशों से आने वाले या इनके जरिए संचारित होने वाले संचारी रोगों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फैलने से रोकना है।

27. **टीबी/कुष्ठ रोग प्रशिक्षण संस्थान:** इनमें राष्ट्रीय क्षयरोग प्रशिक्षण संस्थान, बंगलौर, केन्द्रीय कुष्ठ रोग शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टूर और आस्का, रायपुर और गौरीपुर में स्थित क्षेत्रीय कुष्ठ रोग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान शामिल हैं।

28. **नर्सिंग सेवाओं का विकास:** इनमें नर्सों का प्रशिक्षण, नर्सिंग विद्यालयों को आवर्ती सहायता मुहैया करवाना, मेडिकल कॉलेज के साथ संबद्ध नर्सिंग महाविद्यालय में नर्सिंग विद्यालयों का उन्नयन करना शामिल है।

29. **राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान, दिल्ली:** यह जानपदिक विज्ञान से संबंधित विभिन्न विषयों में शिक्षण और अनुसंधान और संचारी रोगों के नियंत्रण और केन्द्र/राज्य सरकारों और अन्य एजेंसियों को संचारी रोगों के नियंत्रण में सेवा/सलाह प्रदान किए जाने के लिए समर्पित है।

30. **राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम:** इसमें समस्या के प्रति सामुदायिक अवधारणा की परिकल्पना की गई है जिसमें शामिल है:-(क) राज्य के भीतर अभिज्ञात नोडल संस्थानों में मानसिक स्वास्थ्य दल का प्रशिक्षण (ख) मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के प्रति जागरूकता बढ़ाना (ग) समुदाय को मानसिक रोग के शीघ्र पता लगाने और उपचार के लिए सुविधाएं मुहैया कराना और (घ) भविष्य योजना, सेवाओं और अनुसंधान में सुधार के लिए राज्य और केन्द्र में समुदाय स्तर पर उपयोगी डाटा और अनुभव मुहैया करवाना।

31. **खाद्य अपमिश्रण निवारण:** इसका उद्देश्य नए स्थापित भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के जरिए (i) राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संस्थानों के साथ परामर्श कर राष्ट्रीय मानकों का निर्धारण (ii) खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम और नियमों को लागू करना और इसमें प्रावधानों को लागू करने में राज्यों से संपर्क करना और समन्वय स्थापित करना।

(iii) प्रशिक्षण, उपकरण एवं प्रयोगशाला सुविधाओं जैसी प्रशासनिक सहायता प्रदान करना और (iv) उपभोक्ता शिक्षा प्रदान करना है।

32. **केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन:** यह देश में औषधों, प्रसाधन सामग्री और चिकित्सा युक्तियों के गुणवत्ता मानकों को विनियमित करता है और विभिन्न तकनीकी एवं सांविधिक निकायों के जरिए विभिन्न औषध एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियमों एवं उनके अंतर्गत नियम को प्रशासित करता है।

33. **सेरा एवं वैक्सीन का निर्माण:** इसमें बीसीजी वैक्सीन एवं ट्यूबरकुलीन के विनिर्माण एवं आपूर्ति के लिए बी सी जी वैक्सीन प्रयोगशाला, गिन्डी के लिए प्रावधान है। इसमें भारतीय पाश्चर संस्थान, कूचूर के लिए अनुदान सहायता का भी प्रावधान है।

34. **जन स्वास्थ्य प्रयोगशालाएं:** इसमें केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली जो कि स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय का अधीनस्थ कार्यालय है, राष्ट्रीय जैविक मानकीकरण तथा गुणवत्ता नियंत्रण संस्थान, नोएडा, जो कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संस्थान है, का प्रावधान किया गया है। संस्थान का उद्देश्य जैविक एवं रोग प्रतिरक्षण संबंधी उत्पादों के लिए गुणवत्ता नियंत्रण परीक्षण प्रक्रियाओं हेतु मानक तैयार करना और निर्धारित करना, अन्य राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के साथ संबंध विकसित करना, विश्वव्यापी वैज्ञानिक अनुसंधान से अवगत रखना और संबंधित संस्थाओं के कार्मिकों के लिए गुणवत्ता नियंत्रण में प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान करने हेतु जैविक एवं रोग प्रतिरक्षण जैविकों के गुणवत्ता नियंत्रण में प्रौद्योगिकीय विकास करना है। सेरम-विज्ञान संस्थान, कोलकाता जो स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय का एक अधीनस्थ कार्यालय है, औषध-संवेदनशीलता जांच करने के लिए प्रयोगशाला यूनिट के उपयोग, विभागीय उत्पादन हेतु स्वतंत्र गुणवत्ता आश्वासन से सेरा-रोधी वैक्सीन का उत्पादन करता है।

35. **जन स्वास्थ्य शिक्षा:** इसमें अखिल भारतीय स्वच्छता एवं जन स्वास्थ्य संस्थान, कोलकाता और बाल परिचर्या एवं प्रशिक्षण केन्द्र, सिंगूर जो कि स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के अधीनस्थ कार्यालय हैं, के लिए प्रावधान है। यह देश में जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में अग्रणी संस्थानों में से है। इसका उद्देश्य स्नातकोत्तर प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान करके जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में जनशक्ति का विकास करना, देश में विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं एवं रोगों के संबंध में अनुसंधान करना और स्वास्थ्य संसाधनों के इष्टतम उपयोग के लिए विधियां विकसित करने हेतु प्रचालन संबंधी अनुसंधान करना और स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं के संरक्षण एवं संवर्द्धन के लिए निष्कर्षों का अनुप्रयोग करना है।

36. **आपाती चिकित्सा राहत सहित स्वास्थ्य क्षेत्र आपदा से निपटने की तैयारी एवं प्रबंधन:** इसमें प्राकृतिक आपदा की स्थिति में आपाती चिकित्सा राहत प्रदान करने का प्रावधान है।

37. **लाला राम स्वरूप क्षय रोग एवं संबद्ध रोग संस्थान, नई दिल्ली:** यह देश की एक प्रमुख स्वास्थ्य समस्या, क्षय रोग के बारे में कार्य करने में लगे देश के प्रमुख शिक्षण, प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थानों में से एक है।

39. **अभिघात केन्द्रों के लिए क्षमता निर्माण हेतु सहायता:** इसमें राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे नगरों/शहरों में स्थित राज्य अस्पतालों की आपाती सुविधाओं को उन्नत/सुदृढ़ करते हुए इस योजना का उद्देश्य दुर्घटना एवं आघात सेवाओं के लिए आवश्यक सुसज्जित एंबुलेंस और बुनियादी अनिवार्य उपकरणों के साथ दुर्घटना एवं आपाती सेवाएं बढ़ाना है।

41. **कैंसर, मधुमेह, कार्डियोवास्कूलर रोगों तथा पक्षाघात की रोकथाम और नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम:** राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को कैंसर, मधुमेह, कार्डियोवास्कूलर रोगों तथा पक्षाघात की रोकथाम और नियंत्रण हेतु सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

42. **वृद्धों के लिए स्वास्थ्य परिचर्या:** राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को वृद्धों की स्वास्थ्य परिचर्या हेतु सुविधाओं के सृजन हेतु सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

43. **नेत्रहीनता नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम:** राज्यों/ संघ शासित क्षेत्रों को स्वास्थ्य शिक्षा उपायों के साथ-साथ स्थायी नेत्र परिचर्या सुविधाएं प्रदान करने हेतु सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

44. **अन्य स्वास्थ्य योजनाएं:** इसमें विभिन्न स्वास्थ्य योजनाएं और स्वास्थ्य परिचर्या के कार्य में लगे संस्थानों जैसे कि सिंहावलोकन समिति, कार्डियोवेस्क्युलर्स रोग तथा स्ट्रोक तथा कतिपय नई पहले जैसे वृद्धों की परिचर्या, कार्यक्रम मौजूदा शाखाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए और एनसीडीसी की 27 ब्रांचों की स्थापना करने और जोनेटिक रोगों की रोकथाम और नियंत्रण के अंतरक्षेत्रीय समन्वय को सुदृढ़ करने, स्वास्थ्य बीमा, वायरल हेपेटाइटिस आदि की व्यवस्था है।

46. **एनआरएचएम - आरसीएच फ्लेक्सीबल पूल:** यह फ्लेक्सीबल पूल राज्यों द्वारा विकेंद्रिकृत योजना एवं फ्लेक्सीबल प्रोग्रामिंग को सहयोग देता है जिसमें विशेष रूप से संवेदनशील भागों और समुदाय आधारित मानीटरिंग एवं मूल्यांकन से संबंधित परिणामों पर ध्यान देते हुए राज्य एवं जिला स्तरीय परियोजना क्रियान्वयन योजनाओं का विकास शामिल है। इस पूल के तहत गतिविधियों में, देश में सभी सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों में उन्नत अनुपंगी परिचर्या उपलब्ध कराने हेतु और निशुल्क जेनेरिक मेडिसिन उपलब्ध कराने के लिए आरसीएच/ मिशन फ्लेक्सीबल पूल उपलब्ध कराना, रोगप्रतिरक्षण, आयोडीन न्यूनता विकार नियंत्रण कार्यक्रम जिला अस्पतालों का सशक्तीकरण शामिल हैं।

47. **राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन - मिशन फ्लेक्सीबल पूल:** इसमें देश में शहरी जनसंख्या की स्वास्थ्य आवश्यकताओं की व्यवस्था है जिसमें मलिन बस्तियों की जनसंख्या तथा समाज के अन्य असुविधायुक्त एवं असुरक्षित वर्गों पर अधिक ध्यान दिया जाता है।

48. **संक्रामक रोगों के लिए फ्लेक्सीबल पूल:** इस पूल के तहत राज्यों/ संघों राज्य क्षेत्रों को वेक्टर जनित रोगों, तपेदिक, चर्म रोग के नियंत्रण और रोग निगरानी हेतु सहायता प्रदान की जाएगी।

49. **गैर संचारी रोगों, चोट तथा आघात हेतु फ्लेक्सीबल पूल:** राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को गैर संचारी रोगों जैसे नेत्रहीनता, कैंसर, मधुमेह आदि के नियंत्रण हेतु तथा मानसिक स्वास्थ्य, वृद्धावस्था परिचर्या जैसे कार्यक्रमों हेतु तथा आघात परिचर्या हेतु सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

50. **अवसंरचना अनुरक्षण:** इस योजना के तहत राज्यों/ संघ शासित क्षेत्रों को विभिन्न परिवार कल्याण कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु विनियोजित स्टाफ के वेतन हेतु सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

51. **गर्भ निरोधक की आपूर्ति:** कंडोम/ खाई जाने वाली गर्भ निरोधक गोलियां, आदि जैसी गर्भ निरोधकों की आपूर्ति और खरीद हेतु प्रावधान किए गए हैं।

65. **अन्य परिवार कल्याण योजनाएं:** यह राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के राष्ट्रीय कार्यक्रम प्रबंधन का सुदृढीकरण एवं आपूर्तियों व सामग्रियों जैसी योजनाओं, प्रशिक्षण/ अनुसंधान संस्थानों, गैर सरकारी संगठनों, भारतीय आयुर्विज्ञान संगठन (आई एम ए) आदि तथा राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग, केंद्रीय क्षेत्र की परियोजनाओं व अन्य गतिविधियों के लिए फंड उपलब्ध कराने हेतु सहायता देता है।

66. **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग:** इसमें अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सदस्यता हेतु प्रावधान शामिल है।